

Ref No:

726 /23-24

Office of the IHMCT & AN
S.J.P. Campus, Bangalore - 560 001
4th August 2023**OFFICE ORDER****Sub: Re-constitution of Anti Ragging Committee as per Sub-Clause (a) of Clause 6.3 of the Anti Ragging Regulations of the Council.**

As per the directions of the Hon'ble Supreme Court of India and in consideration of the determination of the Central Government to prohibit, prevent and eliminate the menace of ragging from educational institutions, the National Council for Hotel Management stands committed to students of affiliated Institutes of Hotel Management in that regard. NCHMCT brought a strong Anti-ragging Regulation on curbing the menace of Ragging in the Institute under its Academic Umbrella in all over India.

The Institute has Re-constituted Anti Ragging Committee as per Sub-Clause (a) of Clause 6.3 of the Anti Ragging Regulations of the Council consisting of the following members:

Sl.No.	Name & Designation of the staff	Member details	Mobile No.
1	Mr. Venkateshan, Principal I/c.	Head of the Committee from the Institute	9717000858
2	Mr. Krishnendu Mukherjee, HOD I	Faculty Member	9342676231
3	Mr. Pramod Naick, HOD II	Faculty Member	9448560955
4	Mr. Ankush Singh, Lecturer	Hostel Warden	8884798290
5	Mr. Rajesh Kumar Prasad	Representative of Civil Society	9900235732
6	Mr. Hanumanth, PC - 20126	Representative of local Police Administration	9743264630
7	Mr. Manjunath Hebbar P V	Representation of local media	9916240432
8	Dr. Chaitra G Krishna	Representative from a non-government organization who are involved in youth activities or counseling of students	9986072415
9	Ms. Mouboni Saha Mr. Aditya Yadav	Representative of students (fresher as well as seniors)	9836957991 9140875165
10	Mr. Satish Kumar, P/O. Mr. Anirudh Satish	Representative of parents	9886635138
11	Mr. R Chandrashekar, Administrative-Accounts Officer	Non-teaching staff of the Institute	9611912226

Any activity of any student, coming under the definition of Ragging as per clause of 3 of the Anti-ragging Regulation of the Council and which causes



annoyance, hardship, psychological harm, fear or apprehension in any fresher or any other student will not be tolerated on campus or outside campus, Faculty, staff and senior students are directed to safeguard the young aspirants from such act, which will severely be reprimanded.

The Anti Ragging Students Committee is required to closely monitor the movements of the Senior students in this regard and also to properly counsel the Senior students about the ill effects of ragging.

Handwritten signature

PRINCIPAL

Notice Board / Website

Copy to:

- 1) Director (A & F), NCHM, Noida
- 2) Above Anti Ragging Committee members
- 3) 1st Year B.Sc. file
- 4) Anti Ragging file
- 5) Memo & Master file



संदर्भ संख्या: 726 /23-24

आई.एच.एम.सी.टी.ए.एन का कार्यालय

एसजेपी कैंपस, बेंगलूर - 560 001

4 अगस्त 2023

कार्यालय आदेश

विषय: परिषद के एंटी रैगिंग विनियमों के खंड 6.3 के उप-खंड (ए) के अनुसार एंटी रैगिंग समिति का पुनर्गठन।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने, निषेध और समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार के दृढ़ संकल्प को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद संबद्ध संस्थानों के छात्रों के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में होटल प्रबंधन के एनसीएचएमसीटी ने पूरे भारत में अपने शैक्षणिक छत्र के तहत संस्थान में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए एक मजबूत एंटी-रैगिंग विनियमन लाया।

संस्थान ने परिषद के एंटी रैगिंग विनियमों के खंड 6.3 के उप-खंड (ए) के अनुसार एंटी रैगिंग समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:


क्र.सं.	स्टाफ का नाम एवं पदनाम	सदस्य विवरण	मोबाइल संख्या
1	श्री वेंकटेशन, प्रभारी प्राचार्य	संस्थान से समिति के प्रमुख	9717000858
2	श्री कृष्णेंद्र मुखर्जी, विभागाध्यक्ष प्रथम	प्राध्यापक सदस्य	9342676231
3	श्री प्रमोद नाइक, विभागाध्यक्ष द्वितीय	प्राध्यापक सदस्य	9448560955
4	श्री अंकुश सिंह, व्याख्याता	छात्रावास वार्डन	8884798290
5	श्री राजेश कुमार प्रसाद	सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि	9900235732
6	श्री हनुमंत, पीसी-20126	स्थानीय पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि	9743264630
7	श्री मंजूनाथ हेब्बार पी.वी	स्थानीय मीडिया का प्रतिनिधित्व	9916240432
8	डॉ. चैत्रा जी कृष्णा	एक गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि जो युवा गतिविधियों या छात्रों की काउंसलिंग में शामिल हैं	9986072415
9	सुश्री मौबोनी साहा श्री आदित्य यादव	छात्रों के प्रतिनिधि (नए और वरिष्ठ)	9836957991 9140875165
10	श्री सतीश कुमार, पी/ओ. श्री अनिरुद्ध सतीश	माता-पिता का प्रतिनिधि	9886635138
11	श्री आर चन्द्रशेखर, प्रशासनिक-लेखा अधिकारी	संस्थान के गैर-शिक्षण कर्मचारी	9611912226



Contd.....2

किसी भी छात्र की कोई भी गतिविधि, जो परिषद के एंटी-रैगिंग विनियमन के खंड 3 के अनुसार रैगिंग की परिभाषा के अंतर्गत आती है और जो किसी भी नए छात्र या किसी अन्य छात्र में झुंझलाहट, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक क्षति, भय या आशंका का कारण बनती है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिसर में या परिसर के बाहर, संकाय, कर्मचारियों और वरिष्ठ छात्रों को युवा उम्मीदवारों को ऐसे कृत्य से बचाने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिसके लिए कड़ी फटकार लगाई जाएगी।

एंटी रैगिंग छात्र समिति को इस संबंध में वरिष्ठ छात्रों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने और रैगिंग के दुष्प्रभावों के बारे में वरिष्ठ छात्रों को उचित सलाह देने की भी आवश्यकता है।


प्राचार्य

नोटिस बोर्ड/वेबसाइट

में कॉपी:

- 1)निदेशक (ए एवं एफ), एनसीएचएम, नोएडा
- 2)ऊपर एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्य
- 3)प्रथम वर्ष बी.एससी. फ़ाइल
- 4)एंटी रैगिंग फ़ाइल
- 5)मेमो और मास्टर फ़ाइल

